न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः नमित मेहता आई.ए.एस

प्रकरण संख्या 27/2023 आवंटन निरस्ती

GCMS No. 2023/99

भंवरलाल पिता गिरधारीलाल गुर्जर निवासीः बलीचा, तहसील–गिर्वा, उदयपुर

— प्रार्थी

बनाम

श्रीमती मगुबाई पत्नी श्री पूना डांगी निवासीः काया, तहसील–गिर्वा, उदयपुर

— विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 बाबत् विपक्षी का आवंटन निरस्त कराने बाबत्

उपस्थितः 1. श्री राजमल राव अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री सम्पतलाल बोहरा अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 से 4

निर्णय

दिनांकः– 23/06/2025

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मौजा काया, तहसील गिर्वा में आराजी नंबर 3542 रकबा 1.1600 हैक्टेयर भूमि स्थित है। यह भूमि राजस्व रेकर्ड में बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज थी। विपक्षी भूमिहीन काश्तकार नहीं है तथा कथित भूमि के लिए प्रार्थी ने भी प्रार्थना पत्र दिया था परन्तु इस भूमि को काबिल काश्त नहीं मानकर प्रार्थी का आवंटित नहीं किया गया तथा इस भूमिं का आवंटन विपक्षीगण के हक में कर दिया गया जबकि विपक्षीगण भूमिहीन काश्तकार नहीं है। विपक्षीगण ने कब्जा तो उक्त जमीन पर आवंटन के दिन ही कर लिया था तथा मगुबाई ने कथित भूमि के चारो ओर परकोटा बनाकर कब्जा कर लिया। इस भूमि का आवंटन मगुबाई को दिनांक 01.06.2002 को आवंटन सलाहकार समिति की राय से उपजिला कलक्टर, गिर्वा द्वारा किया गया, यह आवंटन नियमों के विपरीत होकर काबिल निरस्त के होने से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पाडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

जिला कलक्टर
उदयपुर

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा काया, तहसील गिर्वा में आराजी नंबर 3542 रकबा 1.1600 जमीन पर प्रार्थी का कब्जा होकर वही इस पर काश्त कर रहा है। परन्तु तहसीलदार ने या पटवारी हल्का ने जो मौका देखे बिना विपक्षी के आवंटन प्रार्थना पत्र के पीछे पटवारी हलका ने जो रिपोर्ट की उसमें स्पष्ट लिखा है कि आराजी नंबर 3542 रकबा 1.1600 हैक्टेयर भूमि के संबंध में उद्घोषणा में होकर मौके पर काबिल काश्त है। अतः आवंटन किया जाना उचित है। कथित जमीन बिलानाम पहाड़ थी तथा कथित जमीन के संबंध में विपक्षी भूमिहीन काश्तकार थी क्योंकि उसके स्वयं के नाम से पहले से साढे चार बीघा भूमि ही थी ऐसी स्थिति में कथित किस्म जमीन पहाड का आवंटन नहीं किया जा सकता है। विपक्षी विधवा औरत होकर स्वयं काश्त नहीं करती है और वह ओरो से काश्त करवाती है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने कथित जमीन को काबिल काश्त बताते हुए आवंटन करनें का आदेश पारित किया जो बिल्कुल गलत होकर काबिल निरस्त के है। उक्त मामले में आवंटन सलाहकार समिति ने एम.एल.ए. मौजूद था, उपतहसीलदार मौजूद थे, विकास अधिकारी मौजूद था, प्रधान मौजूद था, सरपंच मौजूद था, इन सबकी राय से एस.डी.ओ ने दिनांक 01.06.2002 को विपक्षी के नाम आवंटन करने का आदेश दिया जो बिल्कुल गलत होकर निरस्त योग्य है। विपक्षी ने मौके पर आकर मुझ प्रार्थी से कहा कि यह जमीन तो मुझे आवंटित हुई है आप अपना कब्जा हटा लेवे इस कारण मैने उसी समय इसकी नकल लेने का प्रार्थना पत्र दिनांक 02.08.2023 को पेश किया तथा नकलें दिनांक 04.08.2023 को प्राप्त हुई। कथित जमीन किस्म पहाड होने से इसका आवंटन नहीं किया जा सकता फिर भी विपक्षी ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर अपने हक में आवंटन करवा लिया। विपक्षी ने आवंटन शर्तो की पालना नहीं की इस कारण भी विपक्षी के हक में किया गया आवंटन निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थी का आवंटन निरस्ती का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी के हक में मौजा काया की आराजी नंबर 3542 रकबा 1.1600 हैक्टेयर भूमि का आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा काया, तहसील गिर्वा, उदयपुर में आराजी नंबर 3542 रकबा 1.1600 हैक्टेयर भूमि स्थित है। यह भूमि राजस्व रेकर्ड में बिलानाम दर्ज थी तथा कथित भूमि आवंटन योग्य थी एवं विपक्षी भूमिहीन काश्तकार है। कथित भूमि के लिए प्रार्थी ने भी प्रार्थना पत्र पेश किया था परन्तु इस भूमि को काबिल काश्त नहीं मानकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया जबकि विपक्षी के हक में इस भूमि का आवंटन नियमानुसार किया गया है। विपक्षी भूमिहीन काश्तकार है तथा उसका एकमात्र व्यवसाय काश्त है। उक्त भूमि पर विपक्षी का कब्जा आवंटन के दिन से आज दिन तक बराबर चला आ रहा है। यह आवंटन मगुबाई को दिनांक 01.06.2002 को आवंटन सलाहकार समिति की राय से किया गया है यह आवंटन नियमानुसार है। प्रार्थी विपक्षी से द्वेषता रखता है इस कारण प्रार्थी ने जानबूझकर

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट उदयपुर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
उदयपुर

गलत आवंटन निरस्ती का प्रार्थना पत्र पेश किया है जो किसी भी सूरत में चलने योग्य नहीं है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा नहीं रहा है। तहसीलदार व पटवारी ने आवंटन के पूर्व मौका देख लिया था तथा कथित प्रार्थना पत्र के पीछे आवंटन संबंधि स्पष्ट रिपोर्ट थी तथा इसके संबंध में उद्घोषणा पत्र भी जारी किया गया था तथा कथित रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार आवंटन किया गया है। उक्त जमीन पहाड नहीं होकर समतल है तथा विपक्षीगण भूमिहीन काश्तकार है। विपक्षी विधवा महिला होकर स्वयं काश्त करती है तथा अपने परिवार का पालन पोषण करती है। उक्त मामले में आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति की राय से किया गया था जिसमें, सरपंच, प्रधान, विकास अधिकारी, उपतहसीलदार, एम.एल.ए. मौजूद थे। कथित आवंटन नियमानुसार किया गया है, उसे किसी भी सूरत में गलत नहीं कहा जा सकता है। मौके पर प्रार्थी का कब्जा नहीं होकर विपक्षी का ही कब्जा है, इस कारण कब्जा हटाने की बात कहने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। आवंटन वर्ष 2002 में हुआ था उसके संबंध में आवंटन निरस्ती का प्रार्थना पत्र करीब 20–21 वर्ष बाद पेश किया गया है जो किसी भी सूरत में चलने योग्य नहीं है व हर सूरत में काबिल निरस्त के है। विपक्षी ने शर्तो की पालना की है। आवंटनशुदा जमीन पर विपक्षी का कब्जा होकर उसके चारो ओर बाउण्ड्रीवॉल बनी हुई है तथा विपक्षी ही उक्त जमीन पर काश्त कर रहा है। प्रार्थी द्वारा केवलमात्र अदावट से यह गलत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। विपक्षी को कथित आवंटन नियमानुसार है। राजस्व कर्मचारियों से मिलकर आवंटन करवाने की बात बिल्कुल गलत होकर मनगढन्त एंव बनावटी है। विपक्षी ने आवंटन शर्तो की पूरी पालना की है तथा आवंटन नियमों में संशोधन हो गया उसे ध्यान में नहीं रखकर यह गलत आवंटन निरस्ती का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। कथित भूमि किस्म पहाड दर्ज होने से आवंटन नियम 1970 के तहत ऐसे आवंटन पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्पष्ट रूप से काबिल निरस्त के है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत् आवंटन निरस्ती का खारिज फरमाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपने कथनों की ताईद में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गयेः–

1. R.B.J. 2018 page 539
2. A.I.R. 1994 S.C. page 1128
3. R.R.T. 2008(2) page 834
4. R.R.T. 2011(2) page 383
5. R.R.D. 2008 page 434
6. R.R.T. 2006-07 (Supp.) page 122

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों पर मनन किया गया। प्रकरण मे उपखण्ड अधिकारी गिर्वा द्वारा राजस्व ग्राम काया के आराजी संख्या 542 रकबा 1.1600 भूमि मगुबाई पत्नी पुना

जिला कलक्टर
उदयपुर

डांगी के नाम दिनांक 01.06.2002 को आवंटन सलाहकर समिति की सिफारिश के आधार पर आवंटित की गई। प्रार्थी द्वारा 21 वर्ष पश्चात आंवटन निरस्ती का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। 21 वर्ष पश्चात प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई ठोस प्रमाणिक कारण प्रस्तुत नही किया है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में आंवटन के दिन से ही विपक्षी का उक्त भूमि पर कब्जा होने का अंकन किया गया है। आवंटन; किस प्रकार नियमों/प्रक्रिया के विपरित है प्रार्थी यह सिद्ध करने में असफल रहा है, ना ही आवंटन शर्तो की अवहेलना के संबंध में कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत किये है। साथ ही उक्त खसरा नम्बर वर्तमान में नगर विकास प्रन्यास/उदयपुर विकास प्राधिकरण के खातेदारी से दर्ज रिकार्ड होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) पोषणीयं नही है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति मय आवंटन पत्रावली 871/03 उपखण्ड अधिकारी गिर्वा को प्रेषित की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(नमित मेहता)
जिला कलक्टर
उदयपुर